

1 MAR 1

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 13, 1979/फाल्गुन 22, 1900
No. 2] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 13, 1979/PHALGUNA 22, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1979

का. नि. आ. 2-ई.—सशस्त्र सेना (आपात क्षमता) अधिनियम, 1947 (1947 का 15वां) की धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की दिनांक 7 फरवरी, 1979 की अधिसूचना का. नि. आ. 1(ई) के अनुक्रम में केन्द्र सरकार एतद्वारा बिहार राज्य में विद्युत उत्पादन, संभरण, संचालन और अनुरक्षा तथा विद्युत उत्पादन केन्द्रों और उपकेन्द्रों को संचालन से सम्बन्धित प्रत्येक सेवा का मार्च 1979 के 7वें दिन से एक महीने की और अवधि के लिए समाज के लिये अत्यधिक महत्व की सेवा घोषित करती है।

[फाइल सं. 2(4)/79/डी (जी एस-1)]

हरमन्दर सिंह, संयुक्त सचिव (जी)

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 1979

S.R.O. 2-E.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 2 of the Armed Forces (Emergency Duties) Act, 1947 (15 of 1947) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Defence SRO 1(E), dated the 7th February, 1979, the Central Government hereby declares every service forming part of, or connected with the generation, supply, operation and maintenance of electricity and running of generation stations and sub-stations in the State of Bihar to be a service of vital importance to the community for a further period of one month with effect from 7th day of March, 1979.

[F. No. 2(4)/79/D(GS.I)]
HARMANDER SINGH, Jt. Secy.